न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 147 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. श्रीमती आसीदेवी पत्नी स्व. चम्पालालजी 2. मीठालाल पुत्र स्व. चम्पालालजी जातियान नाई निवासी आंगडीया गली, घांचियों का वास, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. गुलाम रसूल पुत्र मुवारक जाति मुसलमान निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2. किशनसिंह पुत्र विरधसिंह जाति राजपूत 3. लादूराम पुत्र श्री धीमाराम जाति विश्नोई निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. वीरमाराम पुत्र श्री थानारामजी जाति चौधरी निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 5. देवाराम पुत्र बाण्डारामजी जाति प्रजापत निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 66 / 2020 बउनवान गुलाम रसूल बनाम किशनसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जेठाराम सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी / उत्तरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व दावा बाबत् बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 992 / 401 रकबा 01.15 बीघा व खसरा संख्या 402 रकबा 06.08 बीघा मौजा जेरला पटवार हल्का रामसीन में आयी हुई है। जिसमें अपने हिस्से अनुसार वादी का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी में वादी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का 1/3 हिस्सा है जो वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त हैं। इसी अनुसार बंटवारा करने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को मौके पर हाजिर होने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा न ही अपीलकर्ता की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। अपीलाधीन आराजी में उत्तरदाता संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलांटस का 2/3 हिस्सा है। प्राथमिक डिक्री में अंकित हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। अपीलांटस को अपने हिस्से अनुसार भूमि सड़क मार्ग पर नहीं दी गई। जहां पर अपीलांटस का बंटवारे में भूमि दी गई उसमें आवागमन हेतु रास्ता प्रावधान नहीं रखा गया। जिससे भी विभाजन प्रस्ताव स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–DNJ 2023(1) Page 1, DNJ 2022(2) Page 1502, DNJ 2022(2) Page 1393

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई। अपीलांट के अलावा समस्त पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। मात्र अपीलांट दुर्भावना से गलत व बेबूनियाद आधारों पर अपील पेश की गई। अपील अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण के परिवार में बीमारी की वजह से अपीलांटगण के द्वारा अपील पेश करने की म्याद की अवधि में अपील पेश नहीं की जा सकी थी एवं अपील पेश करने में 18 दिवस की देरी हुई है। विधि का यह स्पष्ट सिद्धांत हैं कि किसी भी पिड़ित पक्षकार को देरी के आधार पर सुनवाईसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस द्वारा अपील प्रस्तुति में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदु पर करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी के बंटवारा प्रस्ताव में अपीलांटस को सड़क मार्ग पर अपने हिस्से अनुसार भूमि नहीं दी गई। अपीलांटस के हिस्से में रखी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया। जिससे भी विभाजन प्रस्ताव स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा गिरदावर व पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर काउन्टर हस्ताक्षर अंकित करते हुए अग्रेषित कर दिया गया जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता। जबकि बंटवारे के मामले तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2020 बउनवान गुलाम रसूल बनाम किशनसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2022 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 18 से 21 के प्रावधान के निर्देशानुसार उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए सड़क मार्ग पर उभयपक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार भूमि बंटवारे में देते हुए सभी पक्षकारान के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर